

प्रेषक,

मधु जोशी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 10 अप्रैल, 2017

विषय:- वेतन समिति, 2008 के 11वें प्रतिवेदन के माध्यम से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के सामान्य संवर्ग तथा अन्य संवर्ग के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वेतन समिति, 2008 की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के सामान्य संवर्ग के संबंध में प्राप्त संस्तुतियों पर वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-665(1)/दस-54(एम)/2008 टीसी, दिनांक 26 सितम्बर, 2013 द्वारा लिए गये सामान्य निर्णय के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक संवर्ग के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व व्यवस्था में संशोधन करते हुए निम्नानुसार व्यवस्था दिनांक 26 सितम्बर, 2013 से लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1-प्रयोगशाला सहायक संवर्ग-

| क्र० सं० | पूर्व व्यवस्था | | वर्तमान व्यवस्था | | |
|----------|--|---|------------------|--|--|
| | पदनाम | वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन | पदनाम | वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन | शैक्षिक अर्हता एवं भर्ती की विधि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | प्रयोगशाला सहायक तथा कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक | वेतन बैंड-1 रू05200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0- 1900 | प्रयोगशाला सहायक | सादृश्य वेतन बैंड-1 रू05200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0- 2000/ | प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती की अर्हता उन विषयों में जिनसे प्रयोगशाला सहायक का संबंध हो मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | तथा कम्प्यूटर संचालन में डोयक (DOEACC) सोसाइटी अथवा नाम नाइलेट सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो। |
|--|--|--|--|--|--|

2- उक्तानुसार उच्चकृत वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पद धारकों का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वे.आ.-2-841/दस-2009-59(एम)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे-आ-2-321/दस-2017 दिनांक 28-03-2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मधु जोशी)

विशेष सचिव।

संख्या-3/2017/747(1)/सत्तर-2-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 3- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2/बजट-2
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 ध्रुव पाल)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।